

रिपोर्ट पटवारी हल्का/आई0एल0आर0 पं. नारायणराम पु. नारायणराम दर्ज है जबकि प्राचीन के आधार पर  
 2079 के मुताबिक राकेश कुमार पु. नारायणराम दर्ज है जबकि प्राचीन के आधार पर  
 100 की माफ़िशिट, शिवाजी लाइसेंस में राकेश गावड़िया पु. नारायणराम दर्ज  
 अतः नाम दुरुस्त हेतु उचित आदेशावधि सेवा में प्रस्तावित है

कार्यालय तहसीलदार, उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी

दिनांक :- 12/11/2021

क्रमांक : राजस्व / 2020 /

दिनांक :-

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निवेदन है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदक का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है/उचित नहीं है। आवेदक का नाम दुरुस्त किये जाने की अभिराधा की जाती है / की जाती है।

राजस्थान गाँवों के सम अभियान 2021

दुरुस्त किया जाना उचित है

12/11/21  
 तहसीलदार, उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू (राज.)  
 :- आदेश :-

दिनांक :- 12-11-2021

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमाबन्दी सम्यत्	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
①	जैतपुरा	2075-78	100	राकेश कुमार पु. नारायणराम	राकेश गावड़िया पु. नारायणराम

नोट :- शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की पालना की जावे।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

दिनांक :- 12-11-2021

क्रमांक :- राजस्व / 2020 /  
 प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी को वास्ते पालनार्थ।
2. प्रार्थी/प्रार्थीया .....को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी